

**न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर**  
मु०नं०-107/2017

उनवान-सरकार बनाम हरीओम पुत्र श्री केदारनाथ वैश्य (हरीओम डेयरी पुराना बाजार बाडी)  
(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ०एस०एस०  
एक्ट 2006 नियम 2011

**निर्णय**

**दिनांक - 09.12.2017**

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थी श्री हरीओम पुत्र श्री केदारनाथ जाति वैश्य निवासी पुराना शहर बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर (हरीओम डेयरी पुराना बाजार बाडी) के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 15.06.2017 को अप्रार्थी की डेयरी का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे एल्यूमिनियम के ड्रम में लगभग 15 किलो ग्राम बटर में मिलावट का शक होने पर उसमें से 800 ग्राम बटर वास्ते नमूना जॉच अप्रार्थी से खरीदा गया। अप्रार्थी ने उक्त बटर आम जनता के विक्रय हेतु बताया गया जिसका अप्रार्थी के पास कोई खाद्य अनुज्ञापत्र नहीं था। उक्त बटर नमूना डी-1345 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017 के अनुसार उक्त बटर सबस्टैंडर्ड प्रकृति का पाया गया। प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। अप्रार्थी को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने तथा प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त सबस्टैंडर्ड मावा का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी सबस्टैंडर्ड बटर बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है एवं अप्रार्थी के पास एफएसएसए का रजिस्ट्रेशन नहीं होना पाया गया जो कि एफएसएसए की धारा 31(2) का उल्लंघन है जो कि धारा 58 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अप्रार्थी श्री हरीओम पुत्र श्री केदारनाथ जाति वैश्य निवासी पुराना शहर बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर (हरीओम डेयरी पुराना बाजार बाडी) पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 के तहत 4500/-रुपये (चार हजार पाँच सौ रू०) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(हरफूल सिंह यादव)  
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,  
धौलपुर (राज०)